

(आपूर्ति शाखा)

विज्ञापन संख्या:- 01/आ०/2025

उचित मूल्य की दुकान (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आम सूचना

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 में निहित प्रावधानों एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या 1222, दिनांक 08.03.2017 परिपत्र संख्या 1571, दिनांक 28.03.2017 में जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में दिशानिर्देश निर्गत हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या 14396, दिनांक-10.09.2024 के द्वारा रोस्टर क्लीयरेंस के संबंध में निर्गत दिशानिर्देश तथा बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के भाग-2 में निहित प्रावधानों के अनुरूप जमुई अनुमंडल, जिला जमुई अन्तर्गत उचित मूल्य के दुकानों की रिक्तियों के संबंध में सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुसार कुल-85 रिक्तियों के विरुद्ध उचित मूल्य की दुकान की नई अनुज्ञप्ति निर्गत की जानी है, जिसके लिये सुयोग्य व्यक्तियों/स्वयं सहायता समूह/महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

जमुई अनुमंडल अन्तर्गत प्रखंडवार/पंचायतवार उचित मूल्य की दुकानों की आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ अनुमंडल कार्यालय, जमुई एवं प्रखंड कार्यालय, बरहट, चकाई, गिद्धौर, ई0 अलीगंज, जमुई सदर, झांझा, खैरा, लक्ष्मीपुर, सिकन्दरा एवं सोनो के सूचनापट्ट तथा जमुई के जिला वेबसाईट <https://jamui.nic.in> पर देखी जा सकती है।

प्रखंड/पंचायतवार आरक्षण कोटिवार जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की रिक्ति का विवरण निम्नवत है :-

क्र०	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	कोटिवार रिक्ति की संख्या							कुल रिक्ति
			अनु० जाति	अनु० जन० जाति	अ० पि० वर्ग	पि० वर्ग	पि० वर्गों की महिलाएँ	गैर आरक्षित	आ०रूप से कमजोर वर्ग	
1	बरहट	बरहट	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	0	0	0	0	1
2		मलयपुर	0	0	0	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	0	1
3		गुगुलडीह	1 (म०क्ष०आ०)	0	0	0	0	0	0	1
4		लखैय	0	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	0	1	0	2
5		कटौना	0	0	0	0	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	1
6		डाढ़ा	0	0	1	0	0	0	0	1
7		नूमर	1	0	0	0	0	1	0	2
8		आनन्दपुर	0	0	0	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	0	1
9	लक्ष्मीपुर	हरला	0	0	0	1	0	0	0	1
10		ककनचौर	0	0	0	0	0	1	0	1
11		मोहनपुर	0	0	1	0	0	0	0	1
12		खिलार	0	0	0	0	0	1	0	1
13		गौरा	1	0	0	0	0	0	0	1
14		मटिया	0	0	0	0	0	0	1	1
15		गंगरा	0	0	0	0	1	0	0	1
16	गिद्धौर	रतनपुर	0	1	0	0	0	0	0	1

२

३

17		पूर्वी गुगुलडीह	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	0	0	0	0	1	
18	जमुई	मंझवे	0	0	0	1	0	1 (म०क्ष०आ०)	0	2	
19		दौलतपुर	0	0	0	0	0	1	0	1	
20		अइसार	1 (म०क्ष०आ०)	0	1	0	0	1	1	4	
21		अगहरा बरुअदटा	1	0	0	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	0	2	
22		वार्ड न०-८	0	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	0	0	0	1	
23	जमुई नगर परिषद	वार्ड न०-१८	0	0	0	0	0	1	0	1	
24		वार्ड न०-१९	0	0	1	0	0	0	0	1	
25		मिरचा पाठकचक	0	0	0	0	0	1	0	1	
26	सिकन्दरा	ईटासागर	1	0	0	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	0	2	
27		सिझौड़ी	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	0	0	0	0	1	
28		सबलबीघा	0	0	0	0	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	1	
29		खरडीह	0	0	0	1	0	0	0	1	
30		भूल्लो	0	0	0	0	0	1	0	1	
31		मथुरापुर	1 (म०क्ष०आ०)	0	0	0	0	0	0	0	1
32		गोखुला फतेहपुर	0	0	0	0	0	1	0	1	
33		कुमार	0	0	1	0	0	0	0	0	1
34	नगर पंचायत सिकन्दरा	वार्ड न०-०१	0	0	0	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	0	1	
35	ई० अलीगंज	अलीगंज	0	0	0	0	0	1	0	1	
36		कोदवरीया	0	0	0	0	0	1	0	1	
37		दीननगर	0	0	0	1	0	0	0	1	
38		सहौड़ा	0	0	0	0	0	0	1	1	
39		आढा	1	0	1	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	0	0	3
40	खैरा	हरणी	0	0	0	0	0	1	0	1	
41		खड़ाईच	0	0	0	0	1	0	0	1	
42	झाझा	करमा	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	0	0	2 (१.म०क्ष०आ०)	0	3	
43		बोड़वा	1	0	0	0	0	0	1	2	
44		छापा	0	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	0	0	0	1	
45		कानन	0	0	0	0	0	1	0	1	
46		बाराजोर	0	0	1	0	0	0	0	1	
47		केशोपुर	0	0	0	0	0	1	0	1	
48		जामुखरैया	1 (म०क्ष०आ०)	0	0	0	0	0	0	0	1

२

३

49		कनोदी	0	0	0	1	0	1 (म०क्ष०आ०)	0	2	
50		टेलवाबाजार	0	0	1	0	0	1	0	2	
51	नगर परिषद झांझा	वार्ड न०-04	0	0	0	0	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	1	
52		वार्ड न०-13	1	0	0	0	0	0	0	1	
53	सोनो	नैयाडीह	0	0	0	0	0	1	0	1	
54		सारेबाद	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	0	0	0	0	1	
55		रजौन	0	0	0	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	0	1	
56	चकाई	चकाई	0	0	0	1	0	0	0	1	
57		रामचन्द्रडीह	0	0	0	0	0	1	0	1	
58		नौवाडीह	1	0	1	0	0	1	0	3	
59		बामदह	0	0	0	0	0	0	1	1	
60		बरभोरिया	1 (म०क्ष०आ०)	0	0	0	0	0	0	0	1
61		फरियताडीह	0	0	0	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	0	1	
62		चन्द्रमंडीह	0	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	0	0	0	1	
63		रामसिंहडीह	0	0	0	0	0	1	0	1	
64		बौंगी	0	0	1	0	0	0	0	1	
65		कियाजोरी	0	0	0	0	0	1	0	1	
66		घुटवे	0	0	0	0	1	0	0	1	
67		पेटरपहरी	0	0	0	0	0	1 (म०क्ष०आ०)	0	1	
68		कल्याणपुर	1	0	0	0	0	0	0	1	
कुल :-			14	1	15	10	3	34	8	85	

**** (म०क्ष०आ०) :- महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला के लिए आरक्षित नोट :-**

- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-962, दिनांक 22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत 04 प्रतिशत देयता के अनुसार 03 पद देय होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-2526, दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी जिनको पेंशन प्राप्त है क्षैतिज आरक्षण के तहत 85 पदों में 01 (एक) पद अनुमान्य होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या -11/आ०नी०-1-11/2015/सा०प्र० 2342, पटना-15, दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। योग्य महिला उम्मीदवार के अनुपलब्धता की स्थिति में संगत कोटि के पुरुष उम्मीदवार का चयन किया जायेगा।
- विभागीय निदेशानुसार यदि अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अनुसूचित जनजाति का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जायेगा, और यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे पिछड़ा वर्ग के आवेदक एवं तदनुसार इसके विपरीत क्रम (vice versa) द्वारा पद भरा जायेगा।

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

1. पात्रता एवं शर्तें :-

- i- उचित मूल्य की दूकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा। परंतु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
- ii- उम्र- दिनांक 01.08.2025 को आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- iii- आवेदक द्वारा समर्पित किये जाने वाले शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र आवेदन समर्पित करने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत होने चाहिए।
- iv- उचित मूल्य की दूकान के आवंटन में प्राथमिकतायें निम्न रूप में होगी :-
 - (क) स्वयं सहायता समूह।
 - (ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ।
 - (ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ।
 - (घ) शिक्षित बेरोजगार।
 - (ङ) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड (शहरी) के निवासियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. उचित मूल्य की दूकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएँ :-

- i- एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दूकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।
- ii- मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्य काल तक उचित मूल्य की दूकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।
- iii- आटा-चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दूकान आवंटित नहीं की जायेगी।
- iv- अवयस्क, पागल अथवा दिवालिया को उचित मूल्य की दूकान आवंटित नहीं की जायेगी।
- v- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दूकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जायेगी।
- vi- सरकारी लाभ के पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दूकान आवंटित नहीं की जायेगी।

3. चयन की प्रक्रिया :-

- i- अनुज्ञापन पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरांत रिक्तिवार मेधा क्रमांक प्रदर्शित करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ औपबंधिक मेधा सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति को भेजेंगे।
- ii- तत्पश्चात जिला स्तरीय चयन समिति की अनुमति से औपबंधिक मेधासूची का प्रकाशन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय सूचनापट्ट पर करते हुए प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के भीतर संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष लिखित दावा/आपत्तियों को समर्पित करने का अवसर असंतुष्ट आवेदकों को दिया जायेगा।
- iii- दावा/आपत्ति प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 10 दिनों के भीतर प्रत्येक दावा/आपत्ति का विधि-सम्मत निष्पादन करते हुए जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जायेगी एवं प्रत्येक दावा/आपत्ति के निष्पादन के संबंध में संक्षिप्त अभियुक्ति कारण सहित अंकित की जायेगी।
- iv- अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन में सन्निहित अनुशंसा के विरुद्ध कोई असंतुष्ट आवेदक स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए साक्ष्यों के साथ 10 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर कर सकेंगे।
- v- वैसे सभी मामले में जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम मेधा सूची के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष कोई परिवाद दायर नहीं किया गया हो, अनुज्ञापन पदाधिकारी विहित प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे। किंतु जिन मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर किया गया हो, वैसे मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा आदेश पारित होने के बाद उक्त आदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।
- vi- जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा पारित आदेश अनुमान्य होगा।

e

६

4. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश :-

- i- उचित मूल्य की दूकान की अनुज्ञापति के लिये आवेदक संबंधित अनुज्ञापन पदाधिकारी (अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई) को अपना आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से समर्पित करेंगे। व्यक्ति अनुसूची-1 में, स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ अनुसूची-2 में अपना आवेदन पत्र समर्पित करेंगे।
- ii- अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सभी वर्ग के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे एवं चयन पूर्णरूपेण मेधा के आधार पर होगा और उनकी स्थिति अनारक्षित होगी।
- iii- स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों की कार्यकारणी के सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य जिस वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलायें तथा सामान्य) के रहेंगे, तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के अवधारण के प्रयोजनार्थ उसी वर्ग में की जायेगी।
- iv- आवेदन पत्र के साथ शुल्क के रूप में कोई भी राशि देय नहीं है।
- v- अपूर्ण/अहस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
- vi- एक से अधिक पंचायत के लिये आवेदन करने पर आवेदक का सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

5. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले वांछित कागजात/प्रमाण पत्र :-

(क) सभी श्रेणी के आवेदकों के लिये :-

- i- आवेदन पत्र के साथ अपना अद्यतन तीन रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, जिसमें से एक स्वअभिप्रमाणित फोटो आवेदन पत्र पर सबसे उपर दायें कोने में निर्धारित स्थान पर चिपकाया होना चाहिए। शेष दो फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जायेंगे जिनके पीछे आवेदक का नाम तथा पूरा पता अंकित होना चाहिए।
- ii- शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, तथा उम्र से संबंधित मैट्रिक प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
- iii- अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
- iv- यदि आवेदक आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदक अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- v- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक 26.02.2019 में संलग्न अनुसूची में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- vi- दूकान या गोदाम का स्थल अगर अपना है, तो उसका खाता, खेसरा एवं रकबा से संबंधित खतियान/केवाला तथा लगान रसीद की सत्यापित छायाप्रति। अगर किराया का है तो किरायानाम (Deed of lease) से संबंधित एकरारनामा (Agreement) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
- vii- आवेदक इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करेंगे कि
 - a) आवेदक के संयुक्त परिवार में किसी सदस्य के नाम से पूर्व में जन वितरण प्रणाली की दूकान नहीं है।
 - b) आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है।
 - c) आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।
 - d) आवेदक सरकारी लाभ/सरकारी नौकरी के किसी पद पर पदस्थापित नहीं है।
 - e) आवेदक अथवा उनके निकट रिश्तेदार के पास आटा चक्की नहीं है।
 - f) आवेदक वर्तमान में मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य नहीं है।

९

९

(ख) स्वयं सहायता समूह के लिये :-

- समूह का गठन न्यूनतम 01 वर्ष पुराना हो तथा बैंक खाता भी न्यूनतम 01 वर्ष पुराना हो।
- निर्वाचन संबंधी बैठक की कार्यवाही की सत्यापित छायाप्रति।
- स्वयं सहायता समूह में प्राप्त ग्रेडिंग का प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
- स्वयं सहायता समूह के बैंक खाता की सत्यापित छायाप्रति।
- आरक्षण का दावा हो, तो प्रबंध समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों का अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणि छायाप्रति संलग्न करें।

6. आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि :-

पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन पत्र संलग्न अनुलग्नकों के साथ बंद लिफाफे में दिनांक 01.09.2025 से 20.09.2025 तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा "अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई, अनुमंडल कार्यालय, जमुई, बिहार-811307" के पते पर स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि दिनांक 20.09.2025 अपराहन 05:00 बजे के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

लिफाफे के उपर निम्नांकित विवरण अंकित किया जाना आवश्यक है :-

उचित मूल्य की दूकान (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) की नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन विज्ञापन संख्या -

पंचायत एवं प्रखंड का नाम जिसके लिये आवेदन समर्पित किया जा रहा है -

7. आवेदक द्वारा दिये गये गलत अथवा भ्रामक सूचना के आधार पर चयन होने की स्थिति में उनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जायेगा एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी।



28.08.25

अनुज्ञापन पदाधिकारी,
-सह-


अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई।

ज्ञापांक 335 दिनांक 28/08/25

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक जिला जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल-जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि अपने प्रखंड तथा पंचायत सरकार भवन में सूचनापट्ट पर उपरोक्त विज्ञापन प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने कार्यालय के सूचनापट्ट पर उपरोक्त विज्ञापन प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जमुई के सभी पदाधिकारी को ई-मेल करने तथा जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस आदेश का प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित किया जाय।
- प्रतिलिपि :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।
- प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।
- प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।
- प्रतिलिपि :- सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ अग्रसारित।


28/8/25

A.D.S.0
JAMUI


28.08.25

अनुज्ञापन पदाधिकारी,
-सह-

अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई।